बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना – 800001

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

विज्ञापन सं०– 59/2017, समाज कल्याण विभाग, बिहार के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कुल 30 (तीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 30 (तीस) पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है :–

क्र०सं०	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	इनमें महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	गैर–आरक्षित वर्ग	15	06
2.	अनुसूचित जाति	05	02
3.	अनुसूचित जनजाति	–	–
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	06	02
5.	पिछड़ा वर्ग	04	01
6.	पिछड़ा वर्ग की महिला	–	–
	कुल	**30**	**11**

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–13185, दिनांक–03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या :–	**01 (एक)**

इन अनुमान्य पदों में से निःशक्तता (विकलांगता) से ग्रस्त उम्मीदवारों को भी नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

2. **वेतनमान** :– वेतनमान–पी०बी०– 2, 9300–34800/– + ग्रेड पे 4800/–
3. **शैक्षिक योग्यता** :– किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।
4. **आयु सीमा** :– दिनांक 01.08.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला– 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 42 वर्ष।
   (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 212, दिनांक– 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक– 01.08.2006 से 01.08.2017 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे और अद्यतन अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं, वे इस परीक्षा के लिए भी योग्य पात्र होंगे।
   (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।
   (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 62, दिनांक– 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
   (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447, दिनांक– 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
5. **चयन प्रक्रिया :– उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसकी संरचना निम्न प्रकार होगी :–**

क्र० सं०	परीक्षा	विषय	अंक	परीक्षा की प्रकृति
1.	प्रारम्भिक परीक्षा	सामान्य ज्ञान– एक पत्र	150 अंक (2:00 घंटे)	**वस्तुनिष्ठ**
2.	मुख्य परीक्षा	**अनिवार्य विषय** 1. सामान्य हिन्दी 2. सामान्य अध्ययन पत्र–1 3. सामान्य अध्ययन पत्र–2 **वैकल्पिक विषय** 1. गृह विज्ञान 2. मनोविज्ञान 3. समाजशास्त्र एवं 4. श्रम एवं समाज कल्याण **इनमें से किसी एक विषय का चयन**	 100 अंक (3:00 घंटे) 300 अंक (3:00 घंटे) 300 अंक (3:00 घंटे) 300 अंक (3:00 घंटे)	**विषयनिष्ठ**
3.	साक्षात्कार		120 अंक	

(i) प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्त्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जाँचने वाले प्रश्न होंगे।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– 2374, दिनांक– 16.07.2007 एवं पत्रांक– 6706, दिनांक– 01.10.2008 के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित

जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त (विकलांग) उम्मीदवारों को 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iii) प्रारम्भिक परीक्षा हेतु आवेदन करते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसारं निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा :– **(क)** गृह विज्ञान **(ख)** मनोविज्ञान **(ग)** समाजशास्त्र **(घ)** श्रम एवं समाज कल्याण।

<u>नोट</u> :–**एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा।**

वैकल्पिक विषयों का मानक लगभग वही होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के तीन वर्षीय आनर्स परीक्षा का है।

मुख्य परीक्षा हेतु अनिवार्य विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित विषय यथा; सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अध्ययन होंगे।

(iv) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(v) प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवदेनों में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

6. <u>आरक्षणः</u>

(i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii) (A)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :

(a) जाति प्रमाण–पत्र,

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र,

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र,

पिछड़ा वर्ग जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

<u>आरक्षित कोटि के लिए आरक्षण कोड निम्नवत् है</u> :–

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

(v) निःशक्तता (विकलांगता) की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निःशक्तता (विकलांगता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 13185, दिनांक– 03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(viii)सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(ix)ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का दावा नही करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नही होंगे।

7. <u>शुल्क</u> :–

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 150/– (एक सौ पचास) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 600/– (छः सौ) रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान चालान के माध्यम से अथवा ऑनलाईन कर सकते हैं।

चालान के माध्यम से अभ्यर्थी को उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों को कुल 200/– (दो सौ) रूपये एवं अन्य उम्मीदवारों को कुल 650/– (छः सौ पचास) रूपये आयोग के **खाता संख्या 31650243410** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

8. **<u>महत्वपूर्ण निर्देश :–</u>**

(i) **अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर काले/नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ चालान की एक प्रति अथवा ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह गुरूवार, 02 नवम्बर, 2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ केवल बैंक चालान की प्रति (BPSC's Copy) अथवा ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद की प्रति ही संलग्न करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य कागजात/प्रमाण–पत्र उक्त डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न नहीं करेंगे।**

(ii) **यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं चालान की प्रति/ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें परीक्षा प्रवेश–पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।**

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि चालान पर अंकित Registration Number एवं हार्ड कॉपी पर अंकित Registration Number एक ही (same) है।

(iv) **इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, चालान की प्रति एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना होगा।**

9. **योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।**

10. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

12. **इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।**

13. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

14. **उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

15. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

16. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–</u>

(i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	**12.09.2017** से **10.10.2017** तक
2.	चालान अथवा ऑनलाईन के माध्यम से भुगतान करने एवं उसकी विवरणी डैशबोर्ड पर भरने की **अंतिम तिथि**	**10.10.2017**
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की **अंतिम तिथि**	**20.10.2017**
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं चालान की प्रति/ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद प्राप्त होने की **अंतिम तिथि**	**02.11.2017** के अपराह्न 05:00 बजे तक

<u>नोट–1.</u> ऑनलाईन भुगतान (Online Payment) **के लिए दिनांक– 08.10.2017 तक किया गया रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। दिनांक– 08.10.2017 के बाद किए गए** Registration **में ऑनलाईन भुगतान की सुविधा नहीं मिलेगी।**

<u>नोट–2.</u> ऑनलाईन भुगतान करने के लिए लिंक, रजिस्ट्रेशन करने के 48 घंटे बाद उपलब्ध होगा।

<u>नोट–3.</u> भुगतान की विवरणी डैशबोर्ड पर भरने के 24 घंटे बाद ही ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अतः अभ्यर्थी दिनांक– 10.10.2017 तक निश्चित रूप से भुगतान विवरणी डैशबोर्ड पर भर लें।

<u>नोट–4.</u> ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी भी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार, चालान में अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं बैंक में चालान जमा करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। **उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।**

(viii) **इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।**

(ix) **ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान** Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure **के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नकद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।**

6/9/17

सचिव,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।